:: आदेश ::

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 बड़कोट ने अपने पत्र संख्या 521/4 भू0अ0 दिनाक 10.03.2016 के द्वारा अवगत कराया गया है, कि जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत कुड कोटला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.0415 है0 भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 6.083 है0 भूमि वन विभाग के पक्ष हस्तान्तरण/नामान्तरित किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

उपरोक्त के सम्बन्ध में तहसीलदार, बड़कोट द्वारा अपने पत्र संख्या मेमो/र0का0/ क्षतिपूरक वृक्षारोपण पत्रा0/2011-12 दिनांक 11 मई, 2016 के द्वारा अवगत कराया गया है, कि जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत कुड कोटला मोटर मार्ग निर्माण हेतु ग्राम कोटला की वर्तमान नॉन ज्येड.ए. खतौनी फसली बर्ष 1420 से 1425 के खाता संख्या-24 के खसरा संख्या 23/2.758 है., 88/0.314 है0, 91/0.025 है0, 112/1.003 है0, 213/0.252 है0, 236म0/0.417 है0, एवं 271/ 1.314 है0 कुल रक्वा 6.083 है0 सिविल सोयम भूमि उत्तराखण्ड सरकार के स्वामित्व की भूमि वर्ग-9 (3)ड. की भूमि प्रस्तावित की गयी है । प्रस्तावित भूमि में किसी प्रकार का ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, स्मारक, मन्दिर, मस्जिद, शामशान घाट, पनघट आदि मुख्य स्थल नही है और उक्त भूमि को किसी अन्य प्रयोजन हेतु कृषि आवंटन नही है । प्रस्तावित भूमि का नक्शा, खसरा, खतौनी, इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है ।

शासनादेश संख्या 397/XVIII(II)/2012 दिनांक 29 फरवरी, 2012 (पताका "स") के अनुसार वन भूमि हस्तान्तरण के मामलो में अब उतनी भूमि दी जानी है जितनी वन भूमि योजनओं के लिए प्राप्त की जायेगी । उक्त शासनादेश में यह भी उल्लेख किया गया है, कि ऐसी योजनाओं के लिए जिनमें भारत सरकार द्वारा बर्ष 2009 के बाद सैद्वान्तिक अथवा अंतिम स्वीकृति इस शर्त के साथ निर्गत की गयी है, कि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण दोगुने अवनत गैर जमीदारी विनाश (सिविल सोयम भूमि) पर किया जाएगा तथा भारत सरकार को वर्तमान तक प्रेषित किये जा चुके ऐसे प्रस्ताव जिसमें दोगुनी अवनत वन भूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की योजना के साथ वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव भेजा गया है। उनके लिये किये प्रस्ताव के अनुरूप ही दोगुनी भूमि चिन्हित व हस्तान्तरित की जाय।

अतः तहसीलदार, बड़कोट से प्राप्त आख्यानुसार ग्राम कोटला पट्टी बनाल तहसील बड़कोट में उत्तराखण्ड सरकार के स्वामित्व की भूमि वर्ग-9 (3)ड. खाता संख्या 24 खसरा संख्या 23 रक्वा 2.758 है0, 88 रक्वा 0.314 है0, 91 रक्वा 0.025 है0, 112 रक्वा 1.003 है0, 213 रक्वा 0.252 है0, 236 म. रक्वा 0.417 है0 एवं खसरा सं0 271 रक्वा 1.314 है0 कुल रक्वा 6.083 है0 भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गयी है । उक्त प्रस्तावित सिविल सोयम भूमि राजस्व अभिलेखों में प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, के पक्ष में भारत सरकार की सैद्वान्तिक स्वीकृति के बिन्दु संख्या के अनुसार हस्तान्तरित/नामान्तरित करने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है ।

(दीपेन्द्र कुमार चौधरी)
जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तरकाशी ।

संख्या1095 /ग्यारह-27-(2016-17) दिनांक 7 जून, 2016

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- उप जिलाधिकारी, बड़कोट/~~तहसीलदार बड़कोट~~ ।

2- प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट।

3- अधिशासी अभियन्ता, नि0ख0लो0नि0वि0 विभाग बड़कोट।

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

फोन/फैक्स नं0- 01375-224233
E-Mail dfobarkot@Gmail.com
वन मित्र कॉल सेन्टर- 9208008000

कार्यालय

प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट,

पंत्राक- 355 /12-1, दिनांक,बड़कोट,अगस्त, 08 ,2016।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरा नगर, फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषयः- **वन भूमि हस्तान्तरण से सम्बन्धित समस्त प्रकरणों में सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण/हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भः- **आपके कार्यालय का पत्रांक- 3191/1जी0-2366 दिनांक- 26.04.2016।**

महोदय,

कृपया अपने उपरोक्त सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। अवगत कराना है कि इस वन प्रभाग के अन्तर्गत कुड कोटला मोटर मार्ग निर्माण हेतु लो0नि0वि0, बड़कोट को 3.0415 है0 हस्तान्तरण की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के ऐवज में जिलाधिकारी, उत्तरकाशी द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दोगुने सिविल सोयम भूमि 6.083 है0 वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित व नामान्तरित किया गया है। जिसका कब्जा प्रमाण पत्र निम्न प्रकार प्रेषित किया जा रहा है-

कब्जा प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जिलाधिकारी, उत्तरकाशी के आदेश सं0-4095/ग्यारह-27(2016-17) दिनांक-- 07.06.2016 से तहसील बड़कोट के अन्तर्गत ग्राम- कोटला, पट्टी- बनाल में उत्तराखण्ड सरकार के स्वामित्व की वर्ग-9(3) ड. खाता संख्या-24, खसरा संख्या-23 रक्बा- 2.758 है0, 88 रक्बा- 0.314 है0, 91 रक्बा- 0.025 है0, 112 रक्बा- 1.003 है0, 213 रक्बा- 0.252 है0, 236म. रक्बा- 0.417 है0 एवं खसरा संख्या- 271 रक्बा- 1.314 है0 कुल रक्बा- 6.083 है0 की भूमि दिनांक- 19.07.2016 को वन विभाग, राजस्व विभाग तथा याचक विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को साथ में रखकर मौके पर वन विभाग के पक्ष में कब्जा प्राप्त किया गया है। जिसके नक्सा, खसरा एवं मौके पर की गयी कार्यवाही की रिपोर्ट संलग्न है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी,
अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट।

प्रतिलिपिः- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, बड़कोट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः- जिलाधिकारी, उत्तरकाशी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- वन संरक्षक यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित

प्रतिलिपिः- वन क्षेत्राधिकारी, रंवाई राजि को उनके पत्रांक- 99/12-1 दिनांक- 23.07.2016 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट।

Co 2Hed babu

1420 फ0 से 1425 फ0 तक

मूलेख प्रपत्र सं0 प-11

उद्धरण NON ZA खतौनी मौजा कोटला पट्टी-क्वाल तहसील-बड़कोट जिला-उत्तरकाशी

खाते के बाहर की कृषि योग्य भूमि

24	उत्तराखण्ड सरकार	1	0056	जिलाधिकारी महोदय उत्तरकाशी के आदेश सं0 4095/ग्यारह-
	वर्ग 9(3) ड़	6	0016	27(2016-17) दि0 7 जून 2016 के अनुसार ग्राम कोटला की
		✓23	2.758✓	NON ZA खतौनी खाता सं0 24 के उत्तराखण्ड सरकार वर्ग
		X	X	9(3) ड़ के खसरा नं0 23/2.758, 88/0.314, 91/0025,
		X	X	112/1.003, 213/0.252, 236म0/0.417 एवं खसरा नं0
		✓88	0.314	271/1.314 कुल रकबा 6.083 है0 भूमि क्षतिपूरक
		✓91	0025	वृक्षारोपण हेतु प्रभागीय वनाधिकारी अपर यमुना
		✓112	1.003	वन प्रभाग के पक्ष में हस्तान्तरित/नामान्तरित किया,
		X	X	तदनुसार अमलदरामद किया,
		X	X	
		✓213	0.252	
		✓236	0627	राजस्व उप निरीक्षक
		X	X	
		X	X	
		✓271	1.314	
		273	0013	
		X	X	
		X	X	
		2767	0004	
		2770	0.221	
	खाते का योग -	412	81.672	सत्य प्रतिलिपि

राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र ...
तहसील- बड़कोट (उ.का.)

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 03 राजस्व परिषद/68-14-6-2010 (प-11) 1,00,000 फार्म (कम्प्यूटर/ऑफसेट)।

राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र ...
तहसील- बड़कोट (उ.का.)